

उत्तराखण्ड में ग्रीन सेस

चर्चा में क्यों?

अधिकारियों के अनुसार, उत्तराखण्ड सरकार जल्द ही राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों पर [हरति उपकर](#) लगाएगी।

- ग्रीन सेस एक प्रकार का कर है जो सरकार द्वारा [पर्यावरण संरक्षण](#) के उद्देश्य से लगाया जाता है।

मुख्य बंदि

- उत्तराखण्ड में हरति उपकर की शुरुआत:
 - यह उपकर 20 रुपए से 80 रुपए तक होगा और यह वाणजियकि और नजी दोनों वाहनों पर लागू होगा।
 - दोपहिया वाहन, [इलेक्ट्रिक वाहन](#) और [संपीडित प्राकृतिक गैस \(CNG\)](#) वाहन, एम्बुलेंस, अग्नशिमन वाहन और उत्तराखण्ड में पंजीकृत वाहनों को छूट दी जाएगी।
- कार्यान्वयन और प्रौद्योगिकी:
 - इस प्रणाली को दसिंबर 2024 के अंत तक सक्रयि करने का उद्देश्य नरिधारति कयिा गया है।
 - स्वचालति नंबर प्लेट पहचान कैमरे वाहनों की पहचान करेंगे और उपकर राशसीधे वाहन मालकिों के [फास्टैग](#) वॉलेट से काट ली जाएगी।

फास्टैग (FASTag)

- यह एक ऐसा उपकरण है जो [रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन \(RFID\) तकनीक](#) का उपयोग कर वाहन चलते समय सीधे टोल भुगतान करता है।
- [भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधकिरण \(NHAI\)](#) ने फास्टैग की उपलब्धता को सुवधिाजनक बनाने के लयि दो मोबाइल ऐप- [माईफास्टैग](#) और [फास्टैग पार्टनर लॉन्च](#) कयि।
- यह टैग जारी होने की तथिसिसे 5 वर्षों तक मान्य रहता है और यह सात वभिनिन रंगों के कोड में उपलब्ध है।